

राजस्थान सरकार
वित्त (मागोपाय) विभाग

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2020

जयपुर, दिनांक 16 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020/8311 दिनांक 11.10.2020 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)(9)/नपा/रानिआ/2020/8436 तथा 8442 दिनांक 14.10.2020 को घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण में नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जोधपुर उत्तर एवं कोटा उत्तर नगर निगम क्षेत्रों में चुनाव दिनांक 29.10.2020 (गुरुवार) को तथा द्वितीय चरण में नगर निगम जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण एवं कोटा दक्षिण में दिनांक 01.11.2020 होना निर्धारित किया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान की नगर निगमों के उक्त चुनाव हेतु मतदान होने की स्थिति में प्रथम चरण में नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जोधपुर उत्तर एवं कोटा उत्तर नगर निगम क्षेत्रों में चुनाव दिनांक 29.10.2020 (गुरुवार) को तथा द्वितीय चरण में नगर निगम जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण एवं कोटा दक्षिण में दिनांक 01.11.2020 (रविवार) को संबंधित मतदान क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के तहत अवकाश रहेगा, ताकी उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

राज्यपाल की आज्ञा से



(शरद मेहरा)

निदेशक (वजट)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ. 4(1)(1)नपा/रानिआ/2020/ 8670

दिनांक: 19/10/2020

प्रतिलिपि: जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (नगरपालिका) जयपुर, जोधपुर एवं कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(अशोक कुमार जैस) 10.2.20,
उप सचिव